

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

1. बारहवीं विधान सभा के पंचम सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है । हमारा राजस्थान भक्ति-शक्ति का संगम स्थल है । यहां के रण बांकुरों की वीर गाथाएं विश्व विख्यात हैं । मैं मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हुतात्माओं को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं । हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तथा उनकी याद को चिरस्थाई बनाने के लिए हमारी सरकार ने इसी सदन के ठीक सामने जन पथ पर 'अमर जवान ज्योति' प्रज्वलित कर जन-जन को संदेश दिया है कि -

दिवलो तो रात्यूं बळै, बुझ जावे परभात ।

सूरा दीवा देसरा, रोज बळै दिन-रात ।।

2. हमारी सरकार के द्वारा गत दो वर्षों में राजस्थान के समग्र विकास के लिए, लिये गये महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक एवं दूरदृष्टि वाले उचित निर्णयों के उत्कृष्ट परिणाम सामने आने लगे हैं तथा राजस्थान तीव्र गति से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है ।

3. कुशल वित्तीय प्रबन्धन, जल संचयन अभियान, समग्र ग्रामीण विकास के लिए सड़कों का जाल तथा स्वस्थ-हरित-विकसित राजस्थान का सपना साकार करने के लिए मुख्यमंत्री

शिक्षा सम्बल महाअभियान चलाया गया । सरकार ने सत्ता में आते ही 100 दिवसीय व तत्पश्चात् 365 दिवसीय लक्ष्य निष्ठ सर्वजन हित वाली महत्वाकांक्षी कल्याणकारी व बहुआयामी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर सतत् विकास का जो भविष्योन्मुखी सिलसिला प्रारम्भ किया, उसी की सफलता के सुखद् परिणाम हमारे सामने हैं ।

4. हमारी सरकार की हर क्षेत्र में की गई प्रगति का ही परिणाम है कि रोजगार के नये क्षेत्र खुल रहे हैं। युवा आशान्वित हैं। कृषि बीमा करवा कर किसान कृषि की अनिश्चितता से मुक्त हुआ है, उद्यमी नई योजनाएँ ला रहे हैं। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था से व्यापारी खुश हैं, पर्यटन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस चहुँमुखी विकास का फल समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो रहा है।

5. समाज के वंचित वर्गों हेतु विशेष योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। मिड-डे-मील में लगभग एक करोड़ बच्चों को गरम खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। मिड-डे-मील कार्यक्रम को जहां हमने सामाजिक सरोकार से जोड़ा है वहीं शिक्षा विभाग द्वारा 51 हजार 201 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। सबको शिक्षा हेतु एक करोड़ चौदह लाख बच्चों को मुफ्त पुस्तकें वितरित की जा रही हैं। मात्र दो वर्षों में राज्य के पिछड़ेपन को हटाकर वंचित वर्गों का पूर्ण

खयाल रखकर आज हमारी सरकार, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को चरितार्थ कर रही है।

6. राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप फरवरी 2004 से अब तक के कार्यकाल में कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया गया है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक में राज्य सरकार के खाते में निरन्तर सरप्लस की स्थिति रही है।

7. राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य का राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः लगभग 31 एवं 30 प्रतिशत था, जो कि वर्ष 2004-05 में घटकर लगभग 12 प्रतिशत रह गया। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रतिपादित 'Fiscal Reform Facility' के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य सरकार राजस्व घाटे में अपेक्षित सुधार नहीं होने के कारण प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं कर सकी थी। वर्तमान सरकार ने राजस्व घाटे में अपेक्षित सुधार करके न केवल वर्ष 2003-04 व 2004-05 की प्रोत्साहन राशि जो कि क्रमशः 59.77 करोड़ रुपये व 60.62 करोड़ रुपये है, प्राप्त की, बल्कि पूर्व वर्षों की बकाया राशि 146 करोड़ रुपये भी प्राप्त करने की पात्रता अर्जित कर ली है।

8. राज्य सरकार द्वारा जनहित में अनेक कदम उठाते हुए आम जनता को राहत दी गई है। जिसके तहत वाणिज्यिक कर सम्बन्धी न्यायिक विवाद कम करने एवं इनमें निहित राजस्व की वसूली करने की दृष्टि से दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 से नई व्यापक

एमनेस्टी योजना प्रारम्भ की गई, स्वकर निर्धारण में कोई भी मांग बकाया नहीं होने वाले व्यावहारियों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है ताकि इनको संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं रहे । इसी प्रकार भवन निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से निर्माण हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की कर दरें 14 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत की गई ।

9. पंजीयन एवं मुद्रांक के प्रकरणों में आम जनता को राहत देने के लिए कलेक्टर मुद्रांक के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण हेतु सितम्बर, 2005 से दिसम्बर, 2005 तक विशेष अभियान चलाकर 5 वर्ष से अधिक की अवधि के 5662 प्रकरणों का निस्तारण किया गया । इसके साथ ही स्टाम्प शुल्क की दर 11 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 11 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दी गई है ।

10. राज्य सरकार द्वारा दस्तावेजों की पंजीयन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सारथी योजना की क्रियान्विति की गई है । ई-गवर्नेन्स की दिशा में देश की एकमात्र पायलेट परियोजना जयपुर शहर में लागू की जा रही है जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति का पंजीयन आमजन की सुविधा के अनुरूप किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में कराया जा सकेगा ।

11. राज्य सरकार ने भूमि एवं भवन कर के पुराने कर दायित्वों को निपटाने के लिए आवासीय भूमि भवनों को वर्ष 2002-03 तक के कर दायित्वों से भूतलक्षी प्रभाव से 362.55 लाख रुपये की छूट प्रदान कर इन करदाताओं को राहत प्रदान की है ।

12. मेरी सरकार ने वार्षिक योजनाओं के आकार को निरन्तर बढ़ाया है । जहाँ वर्ष 2003-04 की वार्षिक योजना का आकार 4258 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2005-06 की स्वीकृत योजना का आकार 8350 करोड़ रुपये है । अतः योजना के आकार को 2 वर्षों में दुगुना किया गया है । इससे पूंजीगत विनियोजन (केपिटल आउटले) में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, जहां वर्ष 2003-04 में यह 3181 करोड़ रुपये था, वहां वर्ष 2005-06 में 5161 करोड़ रुपये प्रावधित है । वार्षिक योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को दी गई है ।

13. वर्ष 2004-05 में बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अखिल भारतीय स्तर पर राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ।

14. सरकार ने प्रदेश में बाढ़-संहिता एवं भूकम्प-संहिता लागू कर दी है तथा सूखा प्रबन्धन संहिता, आपदा प्रबन्धन नीति तैयार की जा रही है । सभी जिलों की जिला आपदा प्रबन्धन योजना बना दी गई है । राज्य सरकार ने पहली बार "राजस्थान राहत कोष" की स्थापना की है जिसके अन्तर्गत उन आपदाओं से क्षति पर सहायता देने का प्रावधान किया गया है जिनमें आपदा राहत कोष के प्रावधानों के अन्तर्गत सहायता देय नहीं है ।

15. सम्वत् 2061 में राज्य के 18 हजार 613 ग्रामों को सूखे से खरीफ फसल खराबे के कारण तथा 1 हजार 201 गांवों को ओलावृष्टि से रबी फसल में खराबे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया । इन क्षेत्रों में माह दिसम्बर, 2004 से जुलाई, 2005 तक राहत कार्य चलाकर लगभग 1686 लाख मानव दिवस सृजित किये

गये। 1756 चारा डिपो स्वीकृत कर 3.54 लाख मैट्रिक टन चारा अनुदानित दरों पर वितरित किया। पशु शिविरों एवं गौशालाओं के माध्यम से 4.92 लाख पशुधन को लाभान्वित किया गया।

16. सम्बत् 2062 में प्राप्त खरीफ की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 22 जिलों के 15778 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। इन जिलों में 1 जनवरी, 2006 से राहत कार्य चलाये जा रहे हैं। माह जनवरी, 2006 के लिए 2 लाख 23 हजार श्रमिकों को नियोजित किया गया तथा माह फरवरी, 2006 के लिए 3.50 लाख श्रमिक सीमा निश्चित की गई।

17. विभिन्न विभागों की योजनाओं को अकाल राहत कार्यों से समाहित किया जाकर पहली बार राज्य सरकार द्वारा बजट मद से 50 करोड़ रुपये सामग्री के पेटे उपलब्ध कराये गये, जिससे स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण कराया जा रहा है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के चार माह के बिजली बिलों की राशि को माफ किया गया। वर्ष 2005 में राज्य के कुछ जिलों में बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों, तालाबों एवं बांधों के पुनरुद्धार के लिए सम्बन्धित विभागों को 45 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।

18. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित 9.01 लाख परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिमाह 35 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न (2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ अथवा 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल) उपलब्ध करवाया जाकर खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसमें वर्ष 2005-06 के दौरान

चयनित, वे 1.64 लाख परिवार भी सम्मिलित हैं, जिन्हें माह नवम्बर, 05 से खाद्यान्न उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

19. राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयासों के पश्चात् भारत सरकार से अब 24.31 लाख बी.पी.एल. (अन्त्योदय अन्न योजना सहित) परिवारों के लिए खाद्यान्न आवंटन प्राप्त किया गया है। शेष 1.53 लाख चयनित परिवारों के लिए खाद्यान्न आवंटन के प्रयास निरन्तर जारी हैं।

20. बढ़ती हुई कीमतों के कारण वर्तमान में ए.पी.एल.परिवारों द्वारा भी गेहूँ की मांग लगातार की जा रही है। राज्य सरकार, ए.पी.एल.परिवारों हेतु खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूँ को, आवंटन के अनुरूप रिलीज करने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम से निरन्तर प्रयासरत् है ताकि ए.पी.एल. परिवारों को भी निर्धारित दर पर खाद्यान्न प्राप्त हो सके।

21. ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु इस वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2006 तक 774.90 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त कर 717.44 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं, जो प्राप्त राशि का 92.58 प्रतिशत है।

22. “स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना” के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में माह जनवरी, 2006 तक 22 हजार 297 बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति परिवार पूंजी निवेश 25 हजार रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 05 तक 30 हजार 809 रुपये से लाभान्वित किया गया है।

23. “सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना” के अन्तर्गत इस वर्ष माह जनवरी, 2006 तक 166.35 करोड़ रुपये के व्यय से 138.88 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया तथा श्रमिकों को आंशिक मजदूरी के रूप में 104448.01 मैट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण भी किया गया ।

24. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य के छः जिलों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं, को कम से कम 100 दिवस का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा इन 6 जिलों में से 5 जिले (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, सिरोही एवं उदयपुर) वे हैं जिनमें पूर्व में ही ‘राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना’ एवं ‘सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना’ स्वीकृत की जा चुकी हैं । इन योजनाओं को अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में समायोजित किया जा रहा है ।

25. “इन्दिरा आवास योजना” के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2006 तक 58.58 करोड़ रुपये के व्यय से गरीब परिवारों हेतु 17 हजार 621 नये आवासों का निर्माण एवं 6602 अर्द्ध निर्मित आवासों को पक्के आवासों में क्रमोन्नत किया गया है ।

26. “डॉंग क्षेत्रीय विकास योजना” को पुनः आरम्भ कर इसके लिए इस वर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया । राज्य स्तर पर डॉंग क्षेत्रीय विकास मण्डल का गठन 2 अगस्त, 2005 को किया जा चुका है । इस वर्ष से आरम्भ की गई “मगरा क्षेत्रीय विकास योजना” के अन्तर्गत राजसमन्द, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर

व चित्तौड़गढ़ की मगरा क्षेत्र में आने वाली पंचायत समितियों के गांवों को चिन्हित कर वर्ष 2005-06 के लिए जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर जिलों को राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है।

27. वर्ष 2005-06 में पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम किश्त के रूप में 123.00 करोड़ रुपये की अनुदान राशि हस्तान्तरित की गई। नव निर्वाचित पंचायती राज जन-प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इस वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में आयोजित किए गए, जिनमें 88 हजार 518 जन-प्रतिनिधियों के साथ 7995 पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों / कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

28. चालू वित्तीय वर्ष में "राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना" के तहत माह जनवरी, 2006 तक 10389 बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया गया है। "राष्ट्रीय सम विकास योजना" के अन्तर्गत चयनित जिलों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं झालावाड़ में 105 करोड़ रुपये के आवंटन के विरुद्ध 93 करोड़ रुपये व्यय कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए इन क्षेत्रों में आधारभूत विकास कार्य करवाये गये। "रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन" योजनान्तर्गत इस वर्ष 30 हजार भूखण्ड आवंटन के लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी, 2006 तक 24 हजार 201 भूखण्ड आवासविहीन ग्रामीण परिवारों को आवंटित किये गये।

29. राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण, पंचायती राज विभाग मुख्यालय और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य इंटरकनेक्टिविटी स्थापित करने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से “करिश्मा” नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना का शुभारम्भ 9 दिसम्बर, 2005 को किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य की 32 जिला परिषदों, 237 पंचायत समितियों और 1100 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत करने, इंटरकनेक्टिविटी के माध्यम से आपस में जोड़ने तथा इन संस्थाओं में प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबन्धन में सुधार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक वृहद् सॉफ्टवेयर तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर है ।

30. प्रदेश में तीन वर्ष में फसली ऋण प्रवाह को दुगुना करने के लक्ष्य को सहकारिता विभाग द्वारा दूसरे वर्ष में ही पूरा कर लिया जायेगा । इस वर्ष काश्तकारों को 2240 करोड रुपये के फसली ऋण एवं 250 करोड रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य रखे गये थे । इन लक्ष्यों के विरुद्ध माह जनवरी, 2006 तक लगभग 2130 करोड रुपये के फसली ऋण एवं 195 करोड रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरण किये गये हैं ।

31. काश्तकारों को सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए प्रथम बार राजफैड व तिलम संघ के माध्यम से 261 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए और 2400 करोड रुपये की 14 लाख टन सरसों की खरीद की गई, जो अब तक की खरीद का एक

कीर्तिमान है। नई सरसों की आवक के साथ ही सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की आवश्यक तैयारियां की जा चुकी हैं तथा माह मार्च से बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद प्रारम्भ कर दी जायेगी।

32. इस वर्ष राज्य में मानसून का आगमन समय पर हुआ एवं खरीफ-2005 में 140.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई के लक्ष्य के विरुद्ध 126.45 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई तथा रबी 2005-06 में कुल 72.03 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई के लक्ष्य के विरुद्ध 74.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई किये जाने का अनुमान है। इस वर्ष सरसों का 38.94 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ-2005 में लगभग 6 लाख कृषकों को लगभग 220 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य के सभी जिलों में मिट्टी परीक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से 12 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। इससे राज्य के सभी जिलों में मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

33. राज्य में जैविक खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये 48492 वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है। राज्य में "अमूल्य नीर योजना" लागू की गई जिन पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। नवीनतम योजनाओं की जानकारी कृषकों तक पहुंचाने हेतु कृषि योजनायें आपके द्वार अभियान दिसम्बर, 2005 एवं जनवरी, 2006 में चलाया गया, जिसके सार्थक परिणाम मिले हैं।

34. इस वर्ष किन्नू एवं मैथी में भी मौसम बीमा योजना इनके मुख्य उत्पादक जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें सभी श्रेणी के कृषकों को बीमा प्रीमियम राशि का 33.33 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। इस वर्ष राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत 13 जिलों यथा जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, बारां, झालावाड़, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर एवं नागौर में 41 करोड़ रुपये के कार्यक्रम लिये जा रहे हैं।

35. “किसान जीवन कल्याण योजना” के अन्तर्गत जनवरी, 2006 तक 1282 गरीब मजदूर, काश्तकारों को 429.00 लाख रुपये की सहायता दी गई है। किसानों की सुविधा के लिए विपणन बोर्ड द्वारा 5.50 करोड़ रुपये का किसान भवन, जयपुर में बनाया जा रहा है। राज्य में लगभग 30 वर्ष बाद कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाकर चालू वर्ष में चुनाव कराये जावेंगे। जहां उत्पादन वहां विपणन के सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए 18 कृषि जिंसों की विशिष्ट मण्डियां विकसित की जा रही हैं। इस संदर्भ में जो कृषि जिंस घोषित नहीं थी यथा फूल, अश्वगंधा, सोनामुखी आदि उनको कृषि जिंस घोषित किया जा चुका है। फसलोत्तर प्रबन्धन एवं कृषि के क्षेत्र में नवाचार स्थापित करने हेतु किसान कल्याण कोष की स्थापना कर 9.50 करोड़ रुपये जुटाकर कार्य किया जायेगा। कृषि विपणी अधिनियम में समुचित संशोधन कर इसको और अधिक कारगर एवं व्यावहारिक बनाया गया है।

36. उच्च माध्यमिक शिक्षा में कृषि विषय के साथ पढने वाली छात्राओं एवं कृषि स्नातक छात्राओं को क्रमशः 1000 रुपये एवं 3000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है । गत 3 वर्षों में 4021 छात्राओं को 55.61 लाख रुपये का भुगतान किया गया ।

37. 2005-06 में राज्य में दो टिशू कल्चर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई । एक प्रयोगशाला झालावाड़ में, जहाँ पर संतरा एवं दूसरी प्रयोगशाला श्री गंगानगर जिले में किन्नू की उन्नत गुणवत्ता से पौधे टिशू कल्चर तकनीकी के माध्यम से तैयार करवाये जायेंगे ।

38. बीज प्रस्थापन दर में वृद्धि हेतु राज्य में दो नए विधायन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं । अब कुल 18 विधायन केन्द्र हो जायेंगे, जिनके माध्यम से कुल 80 हजार क्विंटल बीज विधायन क्षमता में वृद्धि होगी ।

39. राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु "जैविक उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण संस्था" की स्थापना कर दी गई है जिसके माध्यम से कृषक राज्य में ही उत्पाद को जैविक प्रमाणकरण करा सकेंगे एवं अपने उत्पाद के वाजिब दाम ले पायेंगे ।

40. 227 हैक्टेयर में 38 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले टर्मिनल मार्केट, मुहाना में इसी वर्ष व्यापार स्थानान्तरण की सम्भावना है । उक्त टर्मिनल मार्केट में व्यापारियों को दुकानों हेतु भू-आवंटन हो चुका है । कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि आधारभूत सुविधाएँ अन्तिम चरण में हैं । मसाला एवं फल मण्डी

विकसित करने की भी इसमें योजना है, जिसके लिए जमीन चिन्हित कर आरक्षित की जा चुकी है ।

41. दुग्ध उत्पादकों की सामूहिक सुरक्षा बीमा योजना “ सरस सुरक्षा कवच “ के तृतीय चरण की शुरुआत कर दी गई है । इस वर्ष दिसम्बर, 2005 तक 66 हजार दुग्ध उत्पादकों का बीमा कर लाभान्वित किया गया । “ सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना “ की क्रियान्वित प्रगति पर है, जिसमें 1.5 लाख दुग्ध उत्पादकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा ।

42. डेयरी गतिविधियों के विस्तार हेतु झालरापाटन, डग, अकलेरा व बौजुन्दा में दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का निर्माण प्रगति पर है ।

43. राज्य के आदिवासी मछुआरों के कल्याण हेतु 300 नये मकान, 4 सामुदायिक केन्द्र एवं 16 नलकूपों का निर्माण प्रगति पर है ।

44. गो वंश के संवर्धन हेतु गोवर्धन गो-शाला पथमेड़ा को 1.245 करोड़ तथा राजस्थान गो सेवा आयोग को 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई । गो वंश के संरक्षण हेतु कामधेनु, गोपालक एवं गो रक्षक बीमा योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं ।

45. सिंचाई विभाग का नाम बदल कर अब जल संसाधन विभाग कर दिया गया है । जल के संरक्षण, बेहतर उपयोग एवं अपव्यय को रोकने हेतु जनता में जागरुकता पैदा करने एवं जन सहभागिता से वर्षा जल के संग्रहण जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स,

पारम्परिक जल संग्रहण आदि के कार्य कराने के उद्देश्य से राज्य में व्यापक स्तर पर गैर सरकारी संस्थाओं (NGO) की सहभागिता से “जल अभियान” कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

46. राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के कुशलतम उपयोग, प्रबन्धन एवं समग्र विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु व्यास कमेटी से प्राप्त सुझावों एवं सिफारिशों के आधार पर संशोधित जल नीति का प्रारूप तैयार कर वैबसाइट पर आमजन की राय जानने के लिये उपलब्ध करा दिया गया है। प्राप्त सुझावों के आधार पर इस पर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

47. वर्ष 2005–06 में 45 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 2006 तक 20 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है, शेष 25 परियोजनाओं तथा चवली मध्यम सिंचाई परियोजना को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जावेगा। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 1.15 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 82000 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

48. नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में 74 किमी लम्बी मुख्य नहर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। गुजरात राज्य को अविवादित राशि रुपये 646.95 करोड़ का पूरा भूगतान कर दिया गया है। जून, 2006 तक राजस्थान को पानी आंशिक रूप से प्राप्त होने की पूरी संभावना है, जिसके उपयोग हेतु आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। नर्मदा परियोजना में पानी के

कुशलतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु फव्वारा/ड्रिप सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रावधान किया गया है।

49. भू-जल के पुनर्भरण हेतु 227.03 करोड़ रुपये के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करवाये गये हैं, जिसमें से माह जनवरी, 2006 तक 869 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

50. विश्व बैंक पोषित "राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना" के अर्न्तगत वर्ष 2005-06 के लिये प्रावधित 150 करोड़ रुपये के विरुद्ध अब तक 110 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। शेष राशि वर्षान्त तक व्यय कर, नहरों के पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण एवं बांधों के सुदृढीकरण के कार्यों को और गति दी जाएगी।

51. सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्निर्माण एवं जिर्णोद्धार हेतु वर्ष 2005-06 में प्रथम बार 42 करोड़ रुपये का प्रावधान योजना मद में रखा गया था, जिसके फलस्वरूप नहरों के समुचित रख-रखाव के कारण अन्तिम छोर के कृषकों को उनके हिस्से का पानी उपलब्ध करवाया जा सका।

52. गंग, भाखडा एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजनाओं पर निर्धारित क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक पानी ले रहे मोघों को दुरुस्त किया गया है, जिससे अन्तिम छोर के काश्तकारों को पानी मिलना सुनिश्चित हो सका।

53. 12 वर्षों के अन्तराल के बाद इस वर्ष हरिके बेराज के गेटों की मरम्मत कराई गई, जिसके फलस्वरूप व्यर्थ बह रहे अमूल्य पानी को रोका जा सका जिससे राजस्थान को मिलने वाले पानी की मात्रा में लगभग 350 क्यूसेक की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमाण्ड क्षेत्र में सेम की समस्या के निराकरण हेतु इस वर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान कर कार्य हाथ में लिये गये।

54. 783 राजस्व कर्मचारी जैसे जिलेदार, पटवारी आदि के पद जो पूर्व में विलोपित किये गये थे को पुनः सृजित किया गया जिससे जल के बेहतर प्रबन्धन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकी।

55. इस वित्तीय वर्ष में 39 करोड़ रुपये व्यय कर माह जनवरी, 2006 तक इंदिरा गांधी नहर, सिद्धमुख नोहर तथा चंबल परियोजना के 40034 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण कार्य किया गया है। साथ ही 1164 किलोमीटर खालों को ढकने का कार्य भी किया गया है।

56. बीसलपुर परियोजना क्षेत्र में लगातार 2 वर्षों से लगभग एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है, जो एक कीर्तिमान है।

57. वर्ष 2005-06 में 9952 के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 2006 तक 10922 अलाभान्वित/ आंशिक- लाभान्वित ग्राम/ ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 500 बस्तियों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 988 बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

58. वर्तमान में सतही जल पर आधारित 3529.68 करोड़ रुपये के लागत की 20 वृहद् पेयजल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिन पर अब तक 1026.04 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।
59. 149.40 करोड़ रुपये की रामगंजमण्डी पंचपहाड़ वृहद् पेयजल परियोजना के अंतर्गत 4 कस्बों – रामगंज मण्डी, सुकेत, साथलखेड़ी व उदपुरा तथा जिला कोटा की तहसील रामगंजमण्डी के 146 ग्राम, जिला झालावाड़ की पंचपहाड़ तहसील के 38 ग्राम एवं जिला चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा तहसील के 36 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु मुख्य ट्रांसमिशन प्रणाली का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। परियोजना पर माह जनवरी, 2006 तक 6.39 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।
60. 5 पीपीएम से अधिक फ्लोराइड प्रभावित 2643 ग्रामों/ढाणियों में फ्लोरोसिस की समस्या के निराकरण के लिए अब तक कुल 1422 ग्रामों/ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 1221 गांवों/ढाणियों को वर्षान्त तक लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।
61. ग्रामीण क्षेत्र की कृषि कस्टोडियन भूमि पर, वर्षों से काश्त कर रहे किसानों को निश्चित राशि लेकर नियमानुसार खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लिया गया।
62. राज्य में 7वें संभाग के रूप में भरतपुर संभाग सृजित किया गया है जिससे सवाई माधोपुर, धौलपुर, करोली एवं भरतपुर की जनता को आवश्यक सुविधाएं एवं कुशल प्रशासन मिल सकेगा।

63. राज्य की सभी 241 तहसीलों में "अपना खाता" योजना के तहत जमाबंदियों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है । जमाबंदी की नकलों के साथ साथ नक्शों की नकलें दिये जाने हेतु एक पायलेट प्रोजेक्ट जयपुर जिले हेतु स्वीकृत किया गया है ।
64. बांसवाडा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं सिरोही जिलों के आदिवासी काश्तकारों की काफी समय से लम्बित समस्याओं के समाधान हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर अब तक 17356 काश्तकारों को 19250 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया है तथा 39683 आदिवासियों को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं ।
65. 3078 भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीदों की विधवाओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में कमाण्ड क्षेत्र की 1,14,900 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है ।
66. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों के उपनिवेशन क्षेत्र में किसानों को राहत देने की दृष्टि से बकाया पर ब्याज की छूट दी गई है जिसके अन्तर्गत 21,600 किसान लाभान्वित हुये हैं तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में पूर्व में सामान्य आवंटन की किश्तों को 8 से बढ़ाकर 15 किया गया है जिसके अन्तर्गत लगभग 14000 किसानों को लाभ पहुंचा है ।
67. उपनिवेशन क्षेत्र के टी.सी. धारकों को नियमों में संशोधन कर पुख्ता आवंटन करने का प्रावधान किया गया है ।

68 श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर एवं जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं के समाधान एवं राज्य सरकार द्वारा उनके हित में लिये गये निर्णयों का लाभ पहुंचाने हेतु दिनांक 21-1-2006 से 28-2-2006 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ।

69. कारगिल युद्ध से पूर्व, विभिन्न युद्धों एवं आतंकवादी कार्यवाही में हुये शहीदों के बच्चों को, कारगिल पैकेज की भांति ही, शैक्षणिक सुविधा देने का प्रावधान किया गया है जिसमें निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ, स्कूल स्तर पर 1800 रुपये तथा महाविद्यालय स्तर पर 3600 रुपये सालाना छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है ।

70. करौली, टोंक एवं झुंझुनूं में नये सैनिक कल्याण कार्यालय खोले गये हैं तथा द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेन्शनर पूर्व सैनिकों की विधवाओं की मासिक पेंशन राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है तथा द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेन्शनर पूर्व सैनिकों की मासिक पेंशन राशि भी 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

71. देवस्थान विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में 80 लाख रुपये व्यय कर मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया गया है । आयोजना मद में पहली बार 50 लाख रुपये राशि की स्वीकृति जारी करके 16 मंदिरों/संस्थाओं का विकास/ जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है जो इसी वर्ष में पूरा होना सम्भावित है । धार्मिक पर्यटन हेतु समुचित सुविधा एवं संरचना विकास के लिए 2 धार्मिक पर्यटन सर्किट यथा

मेवाड़-बागड़ सर्किट एवं बृज सर्किट में पर्यटन विभाग के माध्यम से विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

72. राज्य पुलिस की सक्रियता एवं सजगता के कारण वर्ष 2005 में कानून व्यवस्था की स्थिति सनतोषजनक रही। पुलिस एवं जनता के मध्य बेहतर सहयोग से राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं सद्भाव बना रहा। राज्य में गत वर्ष की अपेक्षा सभी अपराधों में कमी आई है, कुल दर्ज अभियोगों में 9 प्रतिशत अपराधों की कमी अंकित की गई है। दहेज मृत्यु, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, बलात्कार एवं अपहरण जैसे अपराधों में 10 प्रतिशत की तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार के अपराधों में क्रमशः 12.96 व 16.29 प्रतिशत की कमी आई है। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं करोली क्षेत्र में डकैती, लूट, हत्या एवं अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त 12 इनामी डकैतों सहित 33 डकैतों को गिरफ्तार किया गया।

73. राज्य पुलिस की सजगता के फलस्वरूप वर्ष 2005 में कोई आतंककारी घटना घटित नहीं हुई तथा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट व हिजबुल मुजाहिदीन आतंककारी संगठन से संबंधित कुख्यात आतंककारी शब्बीर अहमद को अजमेर में एक ट्रक में तीन ए.के. 47 राइफल, 15 डिटोनीटर व 299 कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध रूप से सीमा का उल्लंघन करने पर कुल 91 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा छह व्यक्ति मुठभेड़ में मारे गये। इसी अवधि में 137 अवैध बांग्लादेशी नागरिक

सीमा क्षेत्र में पाक जाने के प्रयास में पकड़े गये, जिनमें से 126 को निष्कासित किया गया।

74. वर्ष 2005—06 में पुलिस प्रशासन के सुदृढीकरण के लिए योजना मद में 1208.13 लाख स्वीकृत किये गये। इससे 160 पुलिस आवासीय भवन, जिला गंगानगर व जयपुर शहर में नये महिला पुलिस थानों की स्थापना करने, 90 थानों में महिला डेस्क स्थापित करने एवं 6 रेन्ज मुख्यालयों पर पुलिस परामर्श एवं सहायता केन्द्र स्थापित किया जाना प्रमुख है। विद्युत् उपकरणों एवं बिजली की चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में 34 विशेष पुलिस थाने गठित किये गये।

75. राज्य अपराध शाखा के अधीन स्पेशल क्राइम एण्ड इकानोमिक ओफेन्स यूनिट गठित की गयी जिसके द्वारा अल्पावधि में ही नकली दवाईयों, नकली खाद, फर्जी फाइनेन्स कम्पनियों एवं वन्य जीवों की तस्करी में लिप्त गिरोहों का पर्दाफाश किया गया। यूनिट द्वारा बैंककर्मि श्री कन्हैयालाल मीणा की हत्या कर 22 लाख रुपये की डकैती, मनीष जौहरी की सनसनीखेज हत्या एवं रणथम्बोर अभयारण्य में अवैध शिकार कर वन्य जीवों की खाल तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के अपराधियों की गिरफ्तारी करने जैसे सराहनीय कार्य किये गये। कोटा शहर जिला पुलिस द्वारा वैभव अपहरण काण्ड में अपहरित बालक को छुड़ाने एवं अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने का अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया।

76. पुलिस कार्य प्रणाली को संवेदनशील एवं प्रभावी करने के लिये जनता का पुलिस सहभागिता कार्यक्रम चलाया गया है। पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए 4000 पदों के भरने की कार्यवाही की गयी।

77. बंदियों को रिमाण्ड अवधि बढ़ाने के लिये न्यायालय में ले जाकर पेश करने की समस्या के समाधान की दिशा में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं जोधपुर में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सिस्टम स्थापित किये गये। जेल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 5 उप कारागार भवनों के निर्माण एवं 27 स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

78. वर्ष 2005 के दौरान 166782 आपराधिक प्रकरणों का निस्तारण कराया गया जिनमें से 92099 आपराधिक प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा मिली। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सहायक लोक अभियोजकगण द्वारा प्रतिवादित आपराधिक प्रकरणों में सजा दिलाने में लगभग 70 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त कर उल्लेखनीय प्रगति की गयी।

79. जयपुर शहर की बढ़ती आबादी एवं आर्थिक परिदृश्य तथा जन आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के उद्देश्य से स्टेट अरबन एजेंडा फॉर राजस्थान (सुराज) की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जयपुर का नया मास्टर प्लान-2025 तैयार किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

80. कनक वृन्दावन से जयगढ़ तक रोप-वे का निर्माण कार्य लगभग 15.00 करोड़ रुपये की लागत से बी.ओ.टी. आधार पर कराया जाएगा।

81. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में 55,363 बीघा भूमि तलाश कर एक लैण्ड बैंक बनाया गया है।
82. जयपुर शहर में आबादी के बढ़ते घनत्व एवं दबाव से उत्पन्न हो रही समस्याओं के निदान हेतु जयपुर के मास्टर प्लान के अनुरूप जयपुर के चारों ओर चिन्हित उप नगरीय क्षेत्रों यथा बगरू, चौमूं, बस्सी, अचरोल, कूकस, जमवारामगढ़, कानोता, शिवदासपुरा एवं रेनवाल इत्यादि का सुनियोजित विकास करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
83. जयपुर शहर के बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर फ्लाई ओवर एवं पार्किंग स्थल बनाये जा रहे हैं। जिस पर लगभग 75.00 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।
84. राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (R.U.I.D.P.) द्वारा जयपुर शहर में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु 556 करोड़ रुपये की लागत से बीसलपुर—जयपुर पेयजल परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
85. शहरी क्षेत्र में बढ़ती हुई आवासीय मांग के अनुरूप भूमि की उपलब्धता में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए सांगानेर जयपुर में निम्न आय वर्ग हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा “द्वारकापुरी योजना” प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 1000 एवं द्वितीय चरण में 2000 फ्लेट्स निर्मित किये जावेंगे। इस योजना में भूतल व सात मंजिले आवास होंगे।

भूकम्परोधी एवं अग्निरोधी इन आवासों का निर्मित क्षेत्रफल 30.98 वर्ग मीटर एवं विक्रय मूल्य 2,85,000 रुपये होगा ।

86. शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सस्ते आवास उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शुरू की गई “घरौंदा आवासीय योजना” के तहत 76,000 रुपये की लागत का आवास 18 रुपये प्रतिदिन की किश्त पर उपलब्ध करवाया जा रहा है ।

87. इस योजना के तहत अब तक 3,041 आवासों का निर्माण प्रगति पर है एवं 9 और कस्बों यथा आबू रोड, अजमेर, अटरू, बड़ी सादड़ी, बारां, चूरू, इकलेरा, मांगरोल एवं सूरतगढ़ में 550 आवासों का कार्य वर्ष 2006–07 में किया जाना प्रस्तावित है ।

88. “जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन” (जयपुर, अजमेर एवं पुष्कर शहरों के लिये) व अन्य शहरों के लिये “एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम” तथा लघु एवं मध्यम शहरों के लिये “शहरी आधारभूत योजना” आरम्भ की गयी है । इन योजनाओं के अन्तर्गत आगामी 20–25 वर्षों के लिये “सिटी डवलपमेन्ट प्लान” बनवाये जा रहे हैं ।

89. बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2005–10 की अवधि में राज्य के नगर निकायों को 220 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की गयी है । इस राशि के उपयोग हेतु एक कार्य योजना तैयार की गयी है जिसमें ठोस कचरा प्रबन्धन, ई-गवर्नेन्स आदि गतिविधियों पर राशि व्यय की जायेगी । इस कार्ययोजना पर वित्तीय वर्ष 2005–06 में 44 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है ।

90. “विरासत संरक्षण विकास योजना” के अन्तर्गत चयनित 22 शहरों में विरासत महत्व के स्थानों के आस-पास आधारभूत सुविधायें विकसित करने एवं पर्यटन के लिये सुविधायें विकसित करने के लिये वर्ष 2005-06 में 222 कार्यों पर 10 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

91. जन साधारण की समस्याओं के लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की दृष्टि से 16 जून से 30 जून, 2005 तक “प्रशासन शहरों की ओर” अभियान चलाया गया। जिसमें कुल 3.5 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 1 मार्च, 2005 से 15 मार्च, 2005 तक चलाये गये “ऑपरेशन क्लीन एण्ड सेफ अभियान” के अन्तर्गत सभी नगर निकायों में कुल 10000 से अधिक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी।

92. राज्य में शिक्षा का विकास राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य में “सबको शिक्षा” के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में नई पहल एवं नवाचार कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

93. राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के सभी वर्ग के 1.14 करोड़ विद्यार्थियों को विगत दो वर्षों में 126.09 करोड़ रुपये की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गईं। प्राथमिक, माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में 38 हजार 602 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है तथा 982 विभागीय मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गई है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न बाह्य

सहायता परियोजनाओं यथा 948 लोकजुम्बिश, 2137 डी.पी.ई.पी. ,8532 शिक्षाकर्मी के कुल 11617 कार्मिकों को विभाग में संचालित अन्य योजनाओं में समायोजित किया गया। माध्यमिक शिक्षा के सुचारु संचालन हेतु “विद्यार्थी मित्र योजना” का क्रियान्वयन किया गया।

94. प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत “सर्व शिक्षा अभियान योजना” में 1705 राजीव गांधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करते हुये 891 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये। 1565 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों एवं 249 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।

95. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत 8982 विद्यालयों में पेयजल सुविधा, 22834 विद्यालयों में शौचालय सुविधा, 12659 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण तथा 4350 विद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य डीपीईपी एवं सर्व शिक्षा अभियान परियोजनाओं के अन्तर्गत पूर्ण कराया गया है। “मुख्यमंत्री शिक्षा सम्बल महाअभियान” राज्य में 15 जुलाई से 15 सितम्बर, 2005 तक चलाया गया। इस महाअभियान के अन्तर्गत 14.55 लाख बालक-बालिकाओं का नामांकन करने के अतिरिक्त कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत लगभग 65 लाख विद्यार्थियों के स्वास्थ्य जांच कार्ड बनाये गये।

96. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को विद्यालय आने व जाने के लिये निःशुल्क बस पास की सुविधा 1 जनवरी, 2006 से उपलब्ध कराई गई है। इस योजनान्तर्गत अब तक 5502 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। दूरस्थ स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ एवं विस्तृत करने के उद्देश्य से राज्य में "स्टेट ओपन स्कूल" को जुलाई, 2005 से प्रारम्भ किया गया है तथा लगभग 28 हजार विद्यार्थियों का रिकार्ड नामांकन हुआ है। इसके अतिरिक्त "आपकी बेटी" योजना का क्रियान्वयन भी आरम्भ किया गया है। राजकीय विद्यालयों में स्वपोषित कम्प्यूटर शिक्षा योजनान्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों की कम्प्यूटर शुल्क का 50 प्रतिशत भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने के कारण दस करोड़ रुपये की वित्तीय राशि स्वीकृत की गई है। राज्य में वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप कम्प्यूटर शिक्षा के प्रभावी प्रसार के लिए पृथक् से "राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव" की स्थापना की गई है। 130 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आई.सी.टी. "ग्रेस" परियोजना का क्रियान्वयन किया गया। विद्यालयों में कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम (कल्प) की शुरुआत की गई। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से निजी सार्वजनिक सहभागिता हेतु 10 सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इसरो की सहायता से राज्य में एड्यूसेट की स्थापना की गई है। जिसके माध्यम से गुणवत्तापूर्वक दूरस्थ शिक्षा आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण

अधिकाधिक किया जा सकेगा। साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग द्वारा 3729 विशेष महिला शिक्षण शिविरों का 474 व्यावसायिक दक्षता उन्नयन शिविरों का आयोजन किया गया।

97. राजस्थान निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्राप्त परियोजनाओं का परीक्षण कर 13 को आशय पत्र ("लैटर ऑफ इन्टेन्ट") जारी कर दिये गये हैं।

98. वित्तीय वर्ष 2005-06 में कोटडा (उदयपुर) एवं पोकरण (जैसलमेर) में राजकीय महाविद्यालय आगामी सत्र 2006-07 से प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

99. जिन जिला मुख्यालयों पर राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है, वहां निजी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। चूरू, हनुमानगढ़, धौलपुर, राजसमन्द व सीकर जिला मुख्यालयों में महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निजी संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इन्हें राज्य सरकार द्वारा भूमि एवं भवन उपलब्ध करवाया जायेगा।

100. सत्र 2006-07 में उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नवीन नीति तैयार की गई है।

101. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु सामान्य शिक्षा वाले 10 महाविद्यालयों में भी रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम (Carrier Oriented Courses) प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

102. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कोटा में कर दी गई है । वर्ष 2005-06 में 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 5 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । वर्ष 2006-07 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की मांग के आधार पर द्वितीय पारी स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित करने हेतु योजना तैयार की गई है । इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित 29 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 45 नई इकाइयाँ संचालित होंगी तथा 850 प्रवेश स्थानों की वृद्धि होगी । वर्ष 2005-06 में पहली बार राजकीय एवं निजी क्षेत्र में 6 पैरा-मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये ।

103. तकनीकी शिक्षा द्वारा दक्षता अभिवर्द्धन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए वर्ष 2005-06 में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों पर निरापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं इनमें से वर्ष 2005-06 में 26 नये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हुए हैं तथा इनमें संचालित 63 इकाइयों में 1037 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है ।

104. राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों व उनसे सम्बन्धित चिकित्सालयों में त्वरित गति से योजना-बद्ध विकास कार्य संपादित किये जा रहे हैं । जोधपुर में कैथ-लैब तथा उदयपुर में कार्डियो-थोरेसिक सेन्टर की स्थापना की जा चुकी है तथा जयपुर, अजमेर व बीकानेर में कैथ-लैब की स्थापना प्रक्रियाधीन है । जयपुर व कोटा में मैमोग्राफी मशीन की स्थापना

की जा चुकी है तथा बीकानेर में लीनियर-एक्सीलरेटर की स्थापना की जा रही है। जयपुर तथा उदयपुर में निजी क्षेत्र के सहयोग से एम.आर.आई. तथा सीटी-स्कैन जांच प्रारंभ की गई है जिससे इन परीक्षाओं पर देय शुल्कों में उल्लेखनीय कमी हुई है।

105. जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल में पोलीट्रौमा वार्ड तथा बर्न, कैंसर एवं नैफ्रोलोजी आई.सी.यू. की स्थापना, महिला चिकित्सालय में मातृ-शिशु चिकित्सा भवन, शिशु गहन चिकित्सा इकाई तथा नवजात शिशु वार्ड की स्थापना एवं जनाना अस्पताल में ओंकोलोजी व निओनेटल वार्ड की स्थापना की गई है।

106. जयपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी के कारण एस.एम.एस. अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं में विस्तार किया जाना आवश्यक है। इस हेतु नये अस्पताल ब्लॉक तथा बाह्य रोग विभाग तथा शल्य चिकित्सा कक्षों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मानसरोवर में नये चिकित्सालय का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

107. राज्य में टेलीमेडिसिन परियोजना लागू की गई है जिससे दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित रोगियों को चिकित्सा महाविद्यालय स्तर के चिकित्सकों से परामर्श मिल सकेगा तथा सतत चिकित्सा शिक्षा को संबल मिलेगा।

108. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना से चिकित्सा अनुसंधान के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विश्वविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा इसके साथ रिसर्च अस्पताल का निर्माण भी प्रक्रियाधीन है।

109. सरकार गांवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने तथा सड़क तंत्र के सुदृढीकरण व उच्चीकरण के कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रही है ।

110. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 2001 की जनगणनानुसार 500 एवम् उससे अधिक की आबादी के सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाना है । इस योजना में अब तक 750 से अधिक आबादी के 5690 गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु 2716 करोड़ 47 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे 19454 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है । योजना के प्रारम्भ से जनवरी, 2006 तक 1 हजार 616 करोड़ 72 लाख रुपये का व्यय कर 13 हजार 406 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 3 हजार 961 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है । विगत दो वर्षों में 3043 गांवों को सड़क से जोड़ा गया है । राजस्थान राज्य देश में इस योजना की क्रियान्वयन में प्रथम है ।

111. “मुख्यमंत्री सड़क योजना” 7 अक्टूबर, 2005 से प्रारम्भ की गई है । इसके अन्तर्गत मेगा हाईवे परियोजना में 1500 करोड़ रुपये का निवेश कर 5 राजमार्गों के 1053 किलोमीटर सड़कों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के चौड़ाईकरण एवम् उन्नयनीकरण के साथ 11 आर.ओ.बी. व 25 बाई-पास का निर्माण किया जायेगा । परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसे आगामी दो वर्षों में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है । इस योजना से तेरह जिले लाभान्वित होंगे ।

112. 100 करोड़ रुपये की लागत से 16 आर.ओ.बी. का निर्माण किया जायेगा । इसमें से 6 आर.ओ.बी. के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है ।

113. 144 करोड़ रुपये की लागत से 240 किलोमीटर राजमार्ग व मुख्य जिला सड़कों पर स्थित आबादी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों पर सीमेन्ट कंकरीट व पत्थर खरंजे की सड़कों का निर्माण किये जाने के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं ।

114. 4500 किलोमीटर क्षतिग्रस्त मैटल सड़कों पर 412 करोड़ रुपये की लागत से डामरीकरण किया जायेगा । 2600 किलोमीटर लम्बाई में कार्य प्रगति पर है ।

115. महत्वपूर्ण धार्मिक व पर्यटक स्थलों को डामर की सड़कों से जोड़ने के लिए 1 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा ।

116. "आदर्श सड़क" के निर्माण के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की एक सड़क को "आदर्श सड़क" के रूप में विकसित किया जायेगा ।

117. राज्य में पहली बार 5412 किलोमीटर लम्बाई की राज्य सड़कों को राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया गया है जिनका संधारण उच्च मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा । केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 374 करोड़ 72 लाख रुपये का व्यय कर 5 हजार 878 किलोमीटर लम्बाई के राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों के सुदृढीकरण व नवीनीकरण का कार्य किया गया है ।

118. स्वर्ण चतुर्भुज योजना के तहत राष्ट्रीय उच्च मार्गों को 4 व 6 लेन में चौड़ाईकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । उत्तरी-दक्षिणी कोरीडोर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धौलपुर से आगरा) के तहत व पूर्व-पश्चिम कोरीडोर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 76 (पिंडवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां व शिवपुरी) के तहत राष्ट्रीय उच्च मार्गों को 4 लेन में चौड़ाईकरण का कार्य प्रगति पर है । राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 जयपुर से आगरा को 4 लेन में चौड़ाईकरण का कार्य भी प्रगति पर है ।

119. सड़क क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बी.ओ. टी. परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 330 करोड़ 96 लाख रुपये की 27 परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं जिसमें से 4 परियोजनाओं पर लागत वसूल करने के बाद निजी उद्यमियों द्वारा राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई है । इन पर टोल वसूली का कार्य भी बंद कर दिया गया है ।

120. राज्य में समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में वर्ष 2005-06 में 227 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एक जिला चिकित्सालय के नवीन भवन तथा 42 डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ के लिए नये आवास गृह के नये निर्माण हेतु 26 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं । इसके अतिरिक्त 1368 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के नवीनीकरण के कार्य प्रगति पर हैं ।

121. चालू वर्ष में 125 नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, 34 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 27 नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं

2 नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आरम्भ कर क्रियाशील करने की कार्यवाही की जा रही है। 14 चिकित्सा संस्थानों में रोगी वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

122. जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में कार्यरत उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 369 चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है तथा अतिरिक्त ए. एन. एम. के 570 पद सृजित किए गए। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारी, स्नातकोत्तर निश्चेतन के 57 पद स्वीकृत किए गए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारी, स्नातकोत्तर हड्डी रोग के पद स्वीकृत किए गए।

123. राज्य सरकार ने जी.एन.एम., बी. एस. सी. नर्सिंग तथा बी. एस. सी. फिजियोथैरेपी के पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की दृष्टि से 94 संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये हैं।

124. राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना की 472.58 करोड़ रुपये की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में 52.79 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं।

125. उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें एवं परामर्श हेतु गठित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 18 हजार 42 आशाएँ कार्यरत हैं। संस्थागत प्रसव हेतु "जननी सुरक्षा योजना" के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 700 रुपये व शहरी क्षेत्र में 600 रुपये की सहायता दी जाती है।

126. संस्थागत प्रसव बढ़ाने, शिशु मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर को कम करने के लिये 1215 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व 157 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घण्टे प्रसव सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

127. शाला स्वास्थ्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व सम्पूरक कार्यक्रम के अन्तर्गत 65 लाख छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर, चिन्हित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाले 20 लाख 49 हजार छात्र-छात्राओं को सूक्ष्म पोषक तत्व "मिड-डे-मील" के साथ वितरित किया जा रहा है।

128. संजीवनी कार्यक्रम के तहत जनजाति एवं मरू क्षेत्रों के दूरस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में मलेरिया रोग पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप गत 2 वर्षों में मलेरिया रोगियों की संख्या में 64 प्रतिशत की कमी आई है। गत वर्षों की तुलना में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में रोग की प्रभावित दर 724 व्यक्ति प्रति एक लाख से घटकर वर्ष 2005 में 230 व्यक्ति प्रति एक लाख रह गई एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित दर 1.98 व्यक्ति प्रति दस हजार से घटकर 0.27 व्यक्ति प्रति दस हजार रह गई है।

129. आयुर्वेद विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में 30 आयुर्वेदिक, 35 होम्योपैथिक तथा 4 यूनानी कुल 69 नवीन औषधालय खोले गये तथा 17 'ब' श्रेणी आयुर्वेद औषधालयों को 'अ' श्रेणी चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया।

130. विभागीय औषधालयों एवं चिकित्सालयों हेतु वर्ष 2005-06 में 438.76 लाख रुपये औषधियों हेतु उपलब्ध कराये गये तथा 65 औषधालयों के भवन निर्माण हेतु 250 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। औषधालय एवं चिकित्सालयों में आवश्यक उपकरणों हेतु 151 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

131. करौली जिला मुख्यालय पर जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई। अब राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला आयुर्वेद अधिकारी के कार्यालय स्थापित हो गये हैं।

132. एक छत के नीचे ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 106 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुल 126 औषधालयों को स्थानान्तरित किया गया।

133. आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर को आदर्श महाविद्यालय के रूप में निर्मित करने हेतु 150 लाख रुपये की सहायता राशि केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गई।

134. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में 3 नवीन पाठ्यक्रम हर्बल फार्मिंग, नर्सिंग तथा पंचकर्म प्रारम्भ किये गये।

135. समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के संतुलित विकास एवं सभी वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर देने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान सरकार द्वारा पालनहार, अनुप्रति, सहयोग, विश्वास, आस्था जैसी नवीन योजनाओं को प्रारम्भ किया गया है।

136. वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ अनुप्रति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवाओं एवं राज्य प्रशासनिक सेवाओं की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार कोचिंग प्राप्त करने के लिए क्रमशः 1 लाख रुपये एवं 45,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है । अब तक 170 अनुसूचित जाति/जनजाति के युवकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

137. पब्लिक विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों को दी जा रही शिक्षा के समतुल्य जनजाति छात्र/छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राशि रुपये 10 करोड़ की लागत से उदयपुर एवं डूंगरपुर में दो मॉडल स्कूलों (एक बालक एवं एक बालिका) के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की जा चुकी है । इन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है । भारत सरकार को 50 प्रतिशत राशि के लिए प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं ।

138. वर्ष 2005-06 से प्रारम्भ की गई सहयोग योजना के अन्तर्गत लगभग 500 अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों की शादी के अवसर पर 5000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाकर लाभान्वित किया गया है । 2050 विधवाओं की पुत्रियों की शादी के अवसर पर 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाकर लाभान्वित किया जा रहा है । माह अगस्त, 2005 से पालनहार

योजना का विस्तार कर समाज के सभी वर्गों के अनाथ बच्चों के लिए इस योजना को लागू कर दिया गया है । वर्तमान में 605 अनाथ बच्चों के पालनकर्ता को प्रतिमाह 675 रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा इसके अतिरिक्त 2000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति अनाथ बच्चे को अनुग्रह राशि वस्त्र आदि सुविधा के लिए प्रदान किये जा रहे हैं ।

139. राज्य के ऐसे पशुपालक जो अपने पशुओं को चराने के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं उनके बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए जालौर में आवासीय विद्यालय के भवन के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन कर भवन निर्माण हेतु वांछित बजट का प्रावधान किया जा चुका है ।

140. मूक-बधिर, नेत्रहीन एवं मंदबुद्धि बालक/बालिकाओं को एक छत के नीचे शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से जयपुर, कोटा एवं उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जनवरी, 2006 से आवासीय विद्यालय संचालित किये गये हैं । निराश्रित वृद्धजनों की सेवा सुश्रुषा के लिए जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर संभाग मुख्यालयों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से फरवरी, 2006 से वृद्धाश्रम प्रारंभ किये गये हैं ।

141. जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु वर्ष 2005-06 में कृषि, उद्यानिकी, रेशम कीट पालन कार्यक्रमों के माध्यम से 24321 परिवारों को लाभान्वित किया गया है । सिंचाई कार्यक्रमों के तहत 1872 परिवारों को लाभान्वित किया गया तथा

विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में 36734 जनजाति छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। 2798 क्षय रोगियों का निःशुल्क उपचार किया गया। 2122 जनजाति परिवारों को स्वरोजगार तथा 6661 जनजाति परिवारों को अंशपूजी अनुदान वितरित किया गया। अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया के 516490 परिवारों को प्रतिमाह एक किलो आयोडाइज्ड नमक निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

142. वर्ष 2005-06 में अनुसूचित क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रावास में न रहने वाली लड़कियों को 12297 साइकिलें मुफ्त वितरित की गई हैं।

143. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही "स्वयं सहायता समूह" योजना अब आन्दोलन का रूप ले चुकी है। अभी तक राज्य में 1 लाख 4 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 20 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध 16 हजार 116 समूहों का गठन हो चुका है। राज्य में अभी तक 43 हजार से अधिक समूहों को 85 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाये गये हैं। जिनमें से चालू वित्तीय वर्ष में 17 हजार से अधिक समूहों को 35 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाये गये हैं।

144. "किशोरी शक्ति योजना" चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राज्य के 165 विकास खण्डों में चलाई जा रही थी। अब यह योजना इस वित्तीय वर्ष से सभी 257 बाल विकास परियोजना

खण्डों तथा 17 नवीन परियोजनाओं में भी लागू की जा रही है। “सामूहिक विवाह योजना” अन्तर्गत 12 हजार 894 जोड़ों को लाभान्वित किया जा चुका है।

145. समेकित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में कुल 35 लाख 82 हजार बच्चों एवं माताओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी तुलना में 32 लाख 54 हजार बच्चे एवं माताएँ वास्तविक रूप से पोषाहार का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में शाला पूर्व शिक्षा सेवा के अन्तर्गत 14 लाख 33 हजार बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।

146. राज्य में गत वित्तीय वर्ष तक स्वीकृत सभी 35 हजार 821 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती स्त्रियों, धात्री माताओं, अतिकुपोषित बच्चों एवं 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके घर पर ही पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह व देखभाल के लिये “जननी योजनान्तर्गत” सहयोगिनी रखे जाने का निर्णय लिया गया था। अभी तक 26 हजार से अधिक महिलाओं का चयन ग्राम सभाओं के माध्यम से सहयोगिनी के रूप में किया जा चुका है। इनमें से लगभग 23 हजार महिलाओं ने कार्यविधि प्रशिक्षण के पश्चात् आंगनबाड़ी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना प्रारम्भ कर दिया है।

147. पूरक पोषाहार को अधिक रुचिकर, एवं पौष्टिक बनाने के उद्देश्य से 16 नवम्बर, 2005 से 237 परियोजनाओं के एक-एक परिक्षेत्र में 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को केन्द्र पर ही गरम भोजन उपलब्ध करवाने का कार्य स्वयं सहायता समूहों, मातृ समितियों तथा अन्नपूर्णा सहकारी समितियों के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है। फरवरी, 2006 तक राज्य के सभी लक्षित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3-6 वर्ष के बच्चों को गरम भोजन का वितरण प्रारंभ कर दिया जायेगा। “राष्ट्रीय पोषाहार मिशन” के अन्तर्गत डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में आदिवासी किशोरी बालिकाओं के पोषण व स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु पाइलेट परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से लगभग 81 हजार किशोरियाँ लाभान्वित होंगी।

148. राज्य सरकार की विनियोजन प्रोत्साहन नीति एवं उत्प्रेरक भूमिका के परिणाम स्वरूप राजस्थान में निवेश और औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। वर्ष 2005-06 में एक लाख से अधिक व्यक्तियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 24989 युवकों को विभिन्न व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

149. लघु/कुटीर उद्योगों का विकास क्लस्टर के आधार पर करने की दिशा में इस वर्ष 6 स्थानों पर क्लस्टर विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया है। आर्टिजन एवं लघु/कुटीर उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु राज्य के 8 जिलों में ग्रामीण हाट निर्मित कर क्रियाशील किये जा चुके हैं।

150. महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा व रीको द्वारा जयपुर—अजमेर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर एक स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापित किया जा रहा है, इस हेतु जयपुर—अजमेर रोड़ पर भूमि आरक्षित कर दी गई है, जिससे एक ओर निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी काफी संख्या में उपलब्ध होंगे।

151. राजस्थान के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए विद्युत् की समुचित आपूर्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। राज्य की कुल स्थापित 5380 मेगावाट क्षमता को 2011—12 तक 10,000 मेगावाट तक बढ़ाना आवश्यक होगा ताकि सभी उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप विद्युत् की आपूर्ति की जा सके। इस दृष्टि से राज्य सरकार ने अभी से ही पहल की है और 4500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी वर्षों में 1500 मेगावाट राज्य क्षेत्र में, 1500 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से आवंटन तथा 1500 मेगावाट निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से विद्युत् उपलब्धता में वृद्धि होना प्रस्तावित है।

152. राज्य सरकार द्वारा 1775 मेगावाट क्षमता की 6 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस वर्ष, गिरल लिग्नाइट परियोजना में 618 करोड़ रुपये की लागत की 125 मेगावाट की दूसरी इकाई स्वीकृत की गई है। काफी समय से लम्बित धौलपुर गैस आधारित परियोजना पर भी अब कार्य त्वरित गति से हो रहा है। ओएनजीसी से 1.5 MMSCMD गैस आपूर्ति का अनुबन्ध किया गया। इस परियोजना से 330 मेगावाट विद्युत् उपलब्धता सितम्बर, 2007 से मिलना प्रारम्भ हो जायेगी। इसी वर्ष

राज्य सरकार ने 1750 करोड़ रुपये की लागत की 500 मेगावाट क्षमता की छबड़ा तापीय विद्युत् गृह परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए बहुत ही अल्प अवधि में सभी आवश्यक स्वीकृतियां आदि प्राप्त की जाकर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इस परियोजना से दिसम्बर, 2008 में विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ होना संभावित है। छबड़ा परियोजना से उत्पादित विद्युत् की लागत 2 रुपये 5 पैसे प्रति इकाई आयेगी जो सबसे कम होगी। कोटा तापीय विद्युत् गृह में 195 मेगावाट की सातवीं इकाई एवं सूरतगढ़ तापीय विद्युत् गृह में 250 मेगावाट की छठी इकाई लगाने की भी राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। राज्य को समर्पित 250 मेगावाट की बरसिंगसर परियोजना पर भी कार्य द्रुत गति से चल रहा है। राज्य के वितरण निगमों ने आने वाले वर्षों में 2656 मेगावाट केन्द्रीय आवंटन से प्राप्त करने के लिए भी अनुबन्ध कर लिये हैं। इसी के साथ राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के द्वारा विद्युत् उत्पादन की इकाइयां स्थापित करने के लिए एक नीति बनाई है और 1000 मेगावाट की लिग्नाईट पर आधारित विद्युत् परियोजना निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया जाना संभावित है।

153. वर्ष 2004 में जारी की गई कृषि कनेक्शन नीति के अनुसरण में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिसम्बर, 2003 से जनवरी, 2006 तक 87000 नये कनेक्शन दे दिये हैं। चालू वर्ष में भी 40000 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जावेगा। किसानों के हित में इस नीति का और सरलीकरण किया गया है।

154. विद्युत् की छीजत कम करने एवं आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से गत वर्ष प्रारम्भ किये गये फीडर सुधार कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। जिन फीडरों पर सुधार कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका विद्युत् छीजत जो पहले औसतन 62.5 प्रतिशत था, अब घट कर 22.1 प्रतिशत पर आ गया है।

155. प्रसारण तंत्र को अधिक सुदृढ़ करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में 220 के.वी. के 2 ग्रिड सब-स्टेशन, 132 के.वी. के 12 ग्रिड सब-स्टेशन एवं 33 के.वी. के 180 ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।

156. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से प्रदेश में 307 मेगावाट विद्युत् क्षमता स्थापित की जा चुकी है जिसमें लगभग 1235 करोड़ रुपये का निजी निवेश हुआ है। गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दृष्टि से 2004 में जारी की गई नीति में संशोधन किये जा रहे हैं जिससे पवन ऊर्जा एवं बायोमास आधारित परियोजनाओं की स्थापना को और बढ़ावा मिलेगा।

157. बहुराष्ट्रीय कम्पनी केयर्न एनर्जी द्वारा बाड़मेर क्षेत्र में 350 मिलियन टन खनिज तेल के भण्डारों की खोज की गई।

158. राज्य सरकार का सकारात्मक प्रयास है कि राज्य को वास्तविक लाभ तब अधिक मिलेगा जब राज्य का खनिज तेल राज्य में ही परिशोधित हो। इसी क्रम में ओ.एन.जी.सी. द्वारा बाड़मेर क्षेत्र में 7.5 मिलियन टन क्षमता की रिफाइनरी परियोजना के लिए लगभग रुपये 6000 से 8000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित

किया गया है । इससे राज्य में रिफाइनरी के साथ-साथ सह-उत्पाद पर आधारित लघु उद्योग लगेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास होगा तथा राज्य में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ।

159. प्रदेश में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं तथा पर्यटन में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है । जहां एक ओर पर्यटक आगमन की वृद्धि दर को बनाये रखने के लिए समन्वित रणनीति जारी रखी जावेगी, वहीं राजस्थान को वर्ष पर्यन्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास है । राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन, वन्य जीवन पर्यटन,साहसिक पर्यटन, इको पर्यटन एवं स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास कर रही है तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता में मेले-त्यौहार व उत्सवों के आयोजन का प्रयास कर रही है, ताकि पर्यटन से सम्बन्धित सेवाओं का सुदृढ़ विकास हो सके ।

160. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एवं भारतीय रेल्वे ने रेल पर्यटन के क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ते हुए दिनांक 17 फरवरी, 2006 से पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर एक ओर पर्यटक रेल "हेरिटेज ऑन व्हील्स" को पर्यटन जगत को समर्पित करते हुए इसका शुभारम्भ किया । रेल पर्यटन के विकास में यह रेल एक नया आयाम है । इस पर्यटक रेल के शुरू होने से बीकानेर एवं शेखावाटी अंचल में पर्यटन विकास को भविष्य में बढ़ावा मिलेगा एवं यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी ।

161. राज्य में आने वाले पर्यटकों की निरन्तर बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु बृज भूमि धार्मिक पर्यटन सर्किट तथा मेवाड़ वागड़ सर्किट पर कार्य किया जा रहा है। इसी तरह पुष्कर के एकीकृत विकास, जयपुर स्थित हवामहल, जन्तर-मन्तर, आमेर किले का विकास एवं झालावाड़ में गागरोन किले का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य किया जावेगा। पर्यटन को और अधिक विकसित करने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र तथा जल महल प्रोजेक्ट योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

162. राजस्थान दिवस को गत वर्ष की भांति इस वर्ष दिनांक 21 मार्च से 30 मार्च, 2006 तक सम्पूर्ण राज्य में भव्य रूप से मनाया जायेगा।

163. प्रदेश में बिखरी पुरासम्पदा एवं सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार-प्रसार, संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से प्रथम चरण के रूप में इन्हें चिन्हित करने के लिए समूचे राजस्थान में नवम्बर माह में पुरासम्पदा सर्वेक्षण जिला कलक्टरों के माध्यम से कराया गया जिसमें 7 हजार से अधिक पुरासम्पदायें चिन्हित हुई हैं जो 100 वर्षों से अधिक पुरानी हैं।

164. पहली बार राज्य के 18 राजकीय संग्रहालयों एवं 2 कला दीर्घाओं में 77 हजार पुरा सामग्री में से 70 हजार पुरा सामग्रियों का वैज्ञानिक ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप प्रलेखन का कार्य पूर्ण हो गया है। संग्रहालयों के चंहुमुखी विकास के लिए राजस्थान राज्य संग्रहालय प्रबन्धन एवं विकास संस्था का गठन किया गया है।

165. स्मारक गोद देने की योजना (Adopt-A-Monument Scheme) के तहत राज्य के अधीन 225 संरक्षित स्मारकों में से 60 स्मारकों का चयन किया गया है जिन्हें संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निजी संस्थाओं के सहयोग का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण संस्था का गठन किया जा चुका है।

166. प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए इस वर्ष राज्य में 59,350 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य तथा 108.47 लाख पौधों का वितरण किया गया है। वानिकी विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत माह जनवरी, 2006 तक 102 लाख मानव दिवसों का सृजन कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। सहरिया जनजाति को स्वावलम्बी बनाने हेतु 4000 हैक्टेयर वन भूमि पर क्लोजर बनाने का कार्य प्रारम्भ कर अब तक 4000 सहरिया परिवारों को 5 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

167. राज्य सरकार ने आरा मशीन नियमों का सरलीकरण कर संशोधित नियम, 2005 प्रचलित किये हैं। इससे राज्य की हैण्डीक्राफ्ट एवं छोटी आरा मशीनों वाली इकाइयां लाभान्वित होंगी एवं लोगों को रोजगार मिलेगा। वन्य जीवों के आक्रमण से मृतक आश्रितों को वर्तमान में दी जाने वाली मुआवजा राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है।

168. पक्षियों के संरक्षण के संबंध में जन चेतना जाग्रत करने एवं वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

में डॉ. सलीम अली व्याख्यान केन्द्र का शुभारम्भ किया गया है। राज्य में बागदड़ा क्षेत्र उदयपुर को इको-ट्यूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे राज्य में प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय ग्रामवासी आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे।

169. वन विभाग द्वारा वन्य जीव के शिकार को रोकने हेतु लगभग 8 माह के समय में सरिस्का अभ्यारण्य में हुए शिकार से सम्बन्धित 176 रेड डाल कर 13 बाघों तथा 19 बघेरों के प्रकरण दर्ज कर कुख्यात वन्य जीव अपराधी संसारचन्द सहित अन्य 30 शिकारियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में सफलता प्राप्त की है।

170. सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 का पुनरावलोकन कर नई सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। राज्य के समस्त 32 जिला मुख्यालयों पर 'ई-मित्र' केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के मुख्य विभागों से सम्बन्धित ई-सूचनाओं का एक ही स्थान पर भण्डारण करने हेतु योजना भवन, जयपुर में राज्य डेटा सेन्टर प्रारम्भ किया गया। इस डेटा सेन्टर को सभी 'ई-मित्र' कियोस्कों से नेटवर्क द्वारा जोड़ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ई-क्रय तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र आदि सॉफ्टवेयर को भी राज्य डेटा सेंटर पर रखा जाएगा।

171. नागरिक केन्द्रित विभागों तथा राजस्व अर्जित करने वाले विभागों जैसे आबकारी विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन

विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भू-अभिलेख, पुलिस विभाग, चिकित्सालयों, स्थानीय निकाय आदि का कम्प्यूटरीकरण प्रगति पर है। राज्य में जिला मुख्यालयों तथा राज्य मुख्यालयों के मध्य सूचनाओं के संचार के लिए राज्य व्यापी नेटवर्क, राज्य सचिवालय में स्थित सभी विभागों के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये सचिवालय नेटवर्क तथा जयपुर शहर स्थित 31 सरकारी भवनों तथा सचिवालय के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

172. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए "जनश्री बीमा योजना" के तहत रिकशा चालकों, ईट भट्टा मजदूरों एवं अन्य श्रमिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। कार्य के दौरान घटित दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की अपंगता की स्थिति में स्वयं को एवं मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को 16.91 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान के आदेश किये गये हैं। अलवर जिले में औद्योगिक श्रमिकों को शीघ्र एवं जिले में ही न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 2005 में नवीन श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

173. विगत दो वर्षों में राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए खेलों के बजट में कई गुणा वृद्धि करते हुए राज्य सरकार ने खेलों के प्रति अपने लगाव के स्पष्ट संकेत दिये हैं।

174. डेविस कप मैच, श्री लंका के साथ एक दिवसीय क्रिकेट मैच एवं एशिया ज़ोन की बैडमिण्टन की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं ।

175. जयपुर के एस.एम.एस. स्टेडियम में अन्तर्राष्ट्रीय खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 8.59 करोड़ रुपये की लागत का इन्डोर स्टेडियम खिलाड़ियों को समर्पित किया गया है । झालावाड़ में भी 1.61 करोड़ रुपये की लागत से बने 'श्रीमती विजया राजे सिंधिया खेल संकुल' को जनता को समर्पित किया जा चुका है । आगामी वर्ष में राज्य के अन्य जिलों में स्टेडियम निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है ।

176. राज्य में खिलाड़ियों, युवाओं एवं पर्यटकों को सस्ती दर पर आवास की उचित सुविधा देने की दृष्टि से उदयपुर एवं अजमेर में युवा आवासों का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है । युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करना, उन्हें नशा मुक्ति एवं सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने हेतु शिविरों का आयोजन किया जाना भी प्रस्तावित है ।

177. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न नवीन विधेयक विधान सभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे:—

1. राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006
2. राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) विधेयक, 2006
3. राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006

178. राजस्थान अब "बीमारू" राज्यों की श्रेणी में नहीं रहा । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे राज्य की उत्कृष्ट पहचान बनने लगी है । हमारे विचार और दल अलग-अलग हो सकते हैं, परन्तु राजस्थान के समग्र विकास के लिए हम सब "पंचशतम्" की भावना से मिल-जुल कर काम करें । तारीख़ की नज़रें हम सबको देख रही हैं । हम सदन के एक-एक क्षण का सदुपयोग करें ।

179. आओ ! आज हम सब मिलकर सुनहरा कल बनाने का संकल्प लें । अंत में कहना चाहूँगी –

बड़ा राज्य अगड़ा बने, जन-गण-मन मुस्कान ।

बनायें हम सब मिल कर, विकसित राजस्थान ॥

जय हिन्द !